



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change)

Environmental Planning Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-4620 16
visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel:0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No: 1148 /SEIAA/2022

Date: 24/7/22

प्रति,
सदस्य सचिव,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,
ई-5, अरेरा कालोनी,
भोपाल -4620 16

Sub:- Case No 9252/2022:Environment Clearance for Proposed at Proposed "Sage Golden Spring" Residential Apartment located at Village – Damkheda, PatwariHalka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal (M.P.). Total Plot Area – 47170.00 Sq.mtr. (4.717 ha.), Built Up Area - 98714.54 square meter ha., by M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP.


736 वीं SEIAA बैठक दिनांक 12.07.2022 में प्रकरण के मामले पर विचार किया गया और निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि: -

1. "प्रकरण आवासीय रेसीडेणियल अपार्टमेन्ट निर्माण के लिए पर्यावरण उल्लंघन के पश्चात् पर्यावरण मंजूरी का है। प्रश्नाधीन प्रकरण "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत विचाराधीन है।
2. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 583वीं बैठक दिनांक 30.06.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 03 से 06 पर अंकित है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त शर्तें निम्नानुसार हैं :-
 - परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये पर्यावरण उल्लंघन के संबंध में वैधानिक कार्यवाही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जावे।
 - साथ ही म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण मंजूरी न मिलने तक उसे स्थापना एवं संचालन की सहमति प्रदान न की जावे।
 - परियोजना प्रस्तावक को प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरण मंजूरी मिलने तक कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण न करे। चल रहे समस्त निर्माण कार्य तत्काल बंद करे।"


अतः आपसे अनुरोध है कि एमओईएफ एवं सीसी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.07.2021 के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत परियोजना प्रस्तावक के खिलाफ कार्रवाई करें।

Endt No. 1149 / SEIAA/2022
Copy to:-

Dated:- 24/7/22


(विकास मिश्रा) 14.7.22
सदस्य सचिव

M/s Vrindavan Construction, through Partner, Shri Arun Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP. - to stop the further construction/production activities.


सदस्य सचिव 14.7.22

Correspondence Address: Member Secretary, SEIAA, Environmental Planning and Coordination Organisation (EPCO), Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462016
Registration No.: To be quoted in registered cases for correspondence